

फर्द अहकाम

जगदीश

बनाम

गोपाल वर्गो

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० 66/2024

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.06.2024	अधिवक्ता श्री प्रभुदयाल डिसानियां द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि० एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2024 को पेश हो।	
	19/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकीय में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/8/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
	30/8/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वरिष्ठ उपाय पत्रावली वास्तव में अंतर्गत तलबी रिपोर्ट अज्ञात दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
	27/9/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दोरे पर पधार है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6.11.24 को पेश हो।	
	6.12.24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार सवापे लगवानी भंगी। वाक्युद्ध भावाज लगवाने के उपरंत भी वादी के न्यायालय में हजर नहीं आने पर पत्रावली अन्तर्गत न्याय-व नियम-3 के तहत अज्ञात हाजरी व भद्रम पेशी में खरिज की जाती है। पत्रावली न्यायालय शुगर डेनर न्याय से कम डेनर दाखिल पत्रावली है।	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर